



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 1275791

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 94 वर्ष 2026

शहबाज उर्फ लाका

....अपीलार्थी

बनाम

यूपी राज्य और दूसरा

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. सूची पुनरीक्षित की गई। नोटिस मिलने के बावजूद, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है।
2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार सिंह और राज्य के एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आपराधिक अपील एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें फर्रुखाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2/ विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम द्वारा ज़मानत अर्ज़ी संख्या 1000/2025 (जो मुकदमा अपराध संख्या 43/2025 से संबंधित है) में 26.09.2025 को ज़मानत नामंजूर करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला थाना मौदरवाज़ा, ज़िला फर्रुखाबाद में बीएनएस की धाराओं 333, 115(2), 352, 351(3), 125, 103 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता की ज़मानत अर्ज़ी नामंजूर कर दी गई थी।

4. मामले की संक्षिप्त जानकारी यह है कि शिकायतकर्ता ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 07.02.2025 को शाम लगभग 6:00 बजे उसका भाई रजत, जब्बार के घर के पास खड़ा था। तभी सह-आरोपी आसिफ़ उर्फ़ पड़्डा और लाका वहाँ पहुँचे और उससे शराब पीने के लिए पैसे माँगे। रजत के मना करने पर, दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसे गालियाँ देना शुरू कर दिया। जब रजत ने उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो आरोपियों ने कथित तौर पर डंडे से उस पर हमला कर दिया। आगे यह भी आरोप है कि रजत किसी तरह हमलावरों से बचकर अपने घर की ओर भागा। हालाँकि, आरोपियों ने कथित तौर पर उस पर पत्थर और ईंटें फेंककर हमला जारी रखा, जिसके कारण उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। एफ.आई.आर. में आगे कहा गया है कि 08.02.2025 को, दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के घर में जबरन घुसपैठ की। हालाँकि शिकायतकर्ता ने इस घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह तुरंत कानूनी कार्रवाई करने से रुक गया। यह भी आरोप है कि उक्त घटना में लगी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चोटों के कारण, 10.02.2025 को रजत की मौत हो गई। इसके बाद, 11.02.2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अपीलकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि घटना कथित तौर पर 07.02.2025 को हुई थी, जबकि संबंधित एफ.आई.आर. छह दिन की देरी के बाद 13.02.2025 को दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. में इस देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि घटना के दिन मृतक शराब के नशे में था, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है। यह भी कहा गया है कि मृतक को लगी चोट किसी अन्य कारण से हो सकती है, और एफ.आई.आर. दर्ज करने में बिना किसी स्पष्ट कारण के हुई देरी अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करती है। यह भी कहा गया है कि सूचना देने वाला व्यक्ति कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अभियोजन पक्ष केवल एक प्रत्यक्षदर्शी पर निर्भर है, जो मृतक की भाभी है, और उसका बयान केवल सूचना देने वाले द्वारा बताई गई बातों को ही दोहराता है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि पंचायतनामा (इनक्वेस्ट रिपोर्ट) तैयार करते समय शिकायतकर्ता मौजूद था, फिर भी उस समय अपीलकर्ता या सह-आरोपियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट की ओर भी ध्यान दिलाया गया है, जिसमें मौत का कारण बहुत ज्यादा शराब पीना बताया गया है। आखिर में, यह कहा गया है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 21.02.2025 से न्यायिक हिरासत में है।

6. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता की अपील का जोरदार विरोध किया और कहा कि एफ.आई.आर. में अपीलकर्ता का नाम है। अपीलकर्ता और सह-आरोपी पर मृतक के साथ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मारपीट करने का खास आरोप लगाया गया है, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह भी कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई देरी के बारे में एफ.आई.आर. या गवाह के बयान में कोई कारण नहीं बताया गया है।

7. पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह न्यायालय पाती है कि कथित घटना 07.02.2025 को हुई बताई गई है, जबकि एफ.आई.आर. 13.02.2025 को दर्ज की गई थी, यानी लगभग छह दिन की देरी से। इस देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। एफ.आई.आर. को देखने से यह भी पता चलता है कि अपीलकर्ता और सह-आरोपी पर मृतक के साथ लाठी और डंडे से मारपीट करने का आरोप है। हालाँकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के शरीर पर केवल एक ही चोट का निशान था। पंचनामा से यह भी पता चलता है कि इसे तैयार करते समय सूचना देने वाला व्यक्ति मौजूद था। इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि मृतक की जांच के दौरान शराब की गंध आ रही थी।

8. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय मानती है कि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. इसलिए, अपील सफल होती है और **मंज़ूर** की जाती है। फर्रुखाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम द्वारा ज़मानत अर्जी संख्या 1000/2025 में 26.09.2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

10. अपीलकर्ता-**शेहबाज़ उर्फ़ लाका** को उक्त मामले (अपराध संख्या) में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें जमा करे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:-

(i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाएगा या परेशान करेगा।

(ii) अपील करने वाला व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में हाज़िर होगा और मुकदमे के निपटारे में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

(iii) अपील करने वाला व्यक्ति एक शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) अपीलकर्ता ज़मानत की आज्ञादी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर अपीलकर्ता विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस की धारा 84 / सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर अपीलकर्ता ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार BNS की धारा 209 / आई.पी.सी. की धारा 174-ए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(v) अपील करने वाले को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) बीएनएस की धारा

251/सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगता है कि अपील करने वाले की अनुपस्थिति जानबूझकर है या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; साथ ही, विचारण न्यायालय बीएनएस की धारा 269/आई.पी.सी. की धारा 229-ए के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) अपील करने वाले की रिहाई के बाद, विचारण न्यायालय मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर सकता है।

11. ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने और अपीलकर्ता को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

5 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।